मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 93 / 2025

हरबंश सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति कुम्हार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. जंगीर सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति कुम्हार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीर सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति कुम्हार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन एवं घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 05/08/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री प्रवीण अधिवक्ता व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए इकबाल के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

क. वादी को प्राप्त कृषि भूमि–

चक	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडीबी	48 / 262	16 / 1 / .114, 16 / [illegible] .012[illegible] 17 / .1265 18 / .1265, 19 [illegible] .1265, 20 / .1265 दक्षिणी 21 [illegible] 25 / 1,25 / 2	1.8975

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:45 IST
Reason: SelfAttested

ख. वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिब प्राप्त कृषि भूमि–

चक 20 जेआरके प.नं. 42 / 250 किला 23 तादादी 0.253 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 1 जंगीर सिंह को प्राप्त कृषि भूमि:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
13 एमओडीवी	48 / 262	11 ता 15, 16 / 1 / .114, 16 / 2 / .0125,	

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

17/.1265 18/1265, 19/.1265,
20/.1265 उत्तरी

1.8975 हैक.

घ. प्रतिवादी सं. 2 बलवीर सिंह को प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
20 जेआरके	42/251	6/2, 22/2, 23 ता 25	1.020 हैक.
	42/252	6/2, 7/1, 16 ता 20	1.557 हैक.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी /बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार/रहन पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 05/08/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:45 IST
Reason: SelfAttested